न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 07/2025

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/57

निगरानीकार	**बनाम**	**गैरनिगरानीकार**
1. राजूराम पुत्र मानाराम, 2. सूगनाराम पुत्र हरदेवाराम, 3. जयराम पुत्र मानाराम, समस्त जाति जाट, निवासी दाबड़िया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।		1. विजय सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, जाति राजपुत, निवासी दावड़िया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन। 2. ग्राम पंचायत, हुडिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।

निगरानी अधीन धारा 97 राज. पंचायती राज अधि. 1994
निगरानी बनाराजगी ग्राम पंचायत हुडिया के पत्रावली सं० 28/2025 जिसके द्वारा पट्टा सं० 18 दिनांक 05.03.2025 को विजय सिंह / पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी दावडिया के नाम जारी किया

उपस्थिति:–

1. वकील श्री ओम प्रकाश पुनीया निगरानीकार की ओर से।
2. वकील श्री विरेन्द्र सिंह गैरनिगरानीकार की ओर से।

–:निर्णय:– दिनांक : 09.09.2025

निगरानीकार की ओर से निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से हैः–

1. यह है कि निगरानी के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत हुड़िया में ग्राम दाबड़िया आतां है तथा ग्राम पंचायत हुड़िया ने पटा सं० 18 जरिये पत्रावली सं० 28/2025 दिनांक 05.03.2025 को विजयसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी दाबडिया तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन राज. के पक्ष में बनाया गया परन्तु जिस जमीन का पटा ग्राम पंचायत हुड़िया ने पटा बनाया उक्त जमीन मौके पर शुरू से ही खुली रास्ता की भूमि रहती चली आ रही है तथा इसका उपयोग उपभोग रास्ता के रूप में होता चला आया है तथा इस जमीन पर से होकर के व इसके आसपास की भूमि पर से होते हुए प्रार्थीगण व आसपास के निवासियों द्वारा इसका उपयोग व उपभोग लगातार रास्ता व खुली चौक की सार्वजनिक भूमि के रूप में किया जाता रहा है तथा उक्त रास्ता की जमीन पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.12.2007 को खंदक देकर बंद करने का प्रयास किया गया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना गच्छीपुरा में इस बाबत एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर पुलिस थाना द्वारा उसी दिन स्थल निरीक्षण कर प्रार्थीगण व अन्य के बयान लेकर के न्यायालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना के समक्ष लिखित में धारा 133 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किया। जिस पर दिनांक 19.12.2007 को उपखण्ड अधिकारी महोदयए मकराना द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की तथा रास्ता खुलवाने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिस पर अप्रार्थीगण ने न्यायलय सिविल न्यायधीश (क. खं.) मकराना के सपक्ष दीवानी वाद सं० 8/08 व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया जिस पर दी. वि. सं० 6/08 कायम किया गया जिसका नोटिस प्रार्थीगण को मिला जिस पर उन्होनें वकील करके दिनांक 12.03.08 को [illegible] दी उक्त वादपत्र व आवेदनपत्र में यह उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि [illegible] सं० [illegible]/21.08.67 अप्रार्थीगण के पिता के नाम से ग्राम पंचायत बेसरोली का बनाया हुआ है। [illegible] प्रार्थीगण द्वारा पंचायत बेसरोली में उक्त पत्रावली का पता [illegible] पंचायत बेसरोली [illegible] बाबत में कुछ नहीं बतलाया [illegible] में उक्त ग्राम पंचायत [illegible] अन्त्रतगत

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested

आता है जिस पर वहां जाकर प्रार्थीगण ने पता लगाया परन्तु ग्राम पंचायत हुड़िया में भी इस बाबत में कोई विवरण नहीं बताया गया तब प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत बेसरोली के समक्ष तथा ग्राम हुड़िया के समक्ष पत्रावली सं० 43/67 जिसके द्वारा पट्टा सं० 45 जारी किया गया उस पत्रावली तथा पट्टा की प्रतिलिपियां दिलायी जाने हेतु आवेदनपत्र पेश किया जो आवेदनपत्र दिनांक 05.03.08 को पेश किया गया जिस पर उक्त दोंनो ग्राम पंचायतों ने प्रार्थीगण को यह सूचना दी कि ग्राम पंचायतों में ऐसी कोई उपलब्ध पत्रावली ही नहीं है तथा मूल प्रार्थनापत्र इसी पृष्ठांकन के साथ वापस लौटा दिया गया कि मिसल सं० 43 का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार की पट्टा की कोई पत्रावली सं० 43 ग्राम पंचायत में कायम ही नहीं हुई तथा बिना पत्रावली कायम हुए व बिना कोई विधिवत कार्यवाही किये ही पट्टा जारी कर दिया गया प्रार्थीगण द्वारा न्यायलय सिविल न्यायधीश (क. खं.) मकराना के समक्ष भी अप्रर्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेजों की सूचि फार्म नं० 3 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की है जिसमें उक्त पट्टा कि फोटो प्रति पेश करने का उल्लेख है लेकिन उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि या असल पेश नहीं होने से उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो सकी। प्रार्थीगण ने पटा संख्या 45 को निरस्त कराने हेतु निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना में बअंनुवान दुर्गासिंह वगैराह बनाम प्रतापसिंह वगैराह मु. न. 04/2008 पेश की थी जिसका निर्णय दिनाक 29.09.2008 को किया जाकर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार किया जाकर पटा संख्या 45 खारिज किया गया।

2. यह है कि अप्रार्थीगण ने निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना में बअनुवान दुर्गासिंह वगैराह बनाम प्रतापसिंह वगैराह मु. न. 04/2008 पेश की थी जिसका निर्णय दिनाक 29.09.2008 को हो जाने पर उक्त निगरानी के निर्णय के विरूद्ध माननीय हाईर्कोट जोधपुर मे CIVIL WRIT PETTION ON 10037/2008 बअनुवान प्रतापसिंह वगैराह बनाम दुर्गासिंह वगैराह पेश की थी जो दिनाकं 13.05.2009 को खारिज हो गई।

3. यह है कि अप्रार्थी विजयसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी दाबडिया तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन राज. ने सम्वत हाल में पूर्व पटा संख्या 45 जो खारिज हो चुका है उसी रास्ते की खुली जमीन का ग्राम पंचायत हुड़िया से अप्रार्थी संख्या एक ने सांठ-गांठ करके पटा सं० 18 जरिये पत्रावली सं० 28/2025 दिनांक 05.03.2025 को बना लिया जबकि उक्त जायगा मौके पर शुरू से ही खुली रास्ता की भूमि रहती चली आ रही है तथा इसका उपयोग उपभोग रास्ता के रूप में होता चला आया है तथा इस जमीन पर से होकर के व इसके आसपास की भूमि पर से होते हुए प्रार्थीगण व आसपास के निवासियों द्वारा इसका उपयोग व उपभोग लगातार रास्ता व खुली चौक की सार्वजनिक भूमि के रूप में किया जाता रहा है। ग्राम पंचायत हुड़िया से अप्रार्थी संख्या एक ने सांठ-गांठ करके पटा सं० 18 जरिये पत्रावली सं० 28/2025 दिनांक 05.03.2025 को गलत बना लिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण निम्न आधारो पर यह निगरानी पेश करता है:-

<u>निगरानी के आधार</u>

(क) यह है कि विवादित भूमि सार्वजनिक रास्ता व खुली सार्वजनिक भूमि है जिस बाबत पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत हुडिया को कोई अधिकार ही नहीं था, न ग्राम पंचायत हुडिया को ऐसा अधिकार है इसलिए भी पट्टा संख्या 18 अवैध शून्य व प्रभाव शून्य है।

(ख) यह है कि दिनांक 12.12.07 को मौके पर कदीमी रास्ता होने का तथ्य पुलिस थाना गच्छीपुरा द्वारा स्थल निरिक्षण दिनांक 12.12.07 को किया गया उससे भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है तथा मौके पर रास्ते पर अतिक्रमण क[illegible] पर खाद की अकूड़ी व खाई खोदकर के खाद वगैरा डालकर [illegible] किया [illegible] मौका निरिक्षण से प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त आसपास में रास्ते का [illegible] या है उस[illegible] मौके पर रास्ता होना प्रमाणित होता है तथा यह भी प्रमाणित होता है तथा मौके पर किसी का कब्जा किसी प्रकार से नहीं रहा है फिर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

ग्राम पंचायत हुडिया ने उक्त रास्ते की जमीन का पटटा संख्या 18 अप्रार्थी संख्या एक के नाम से जारी कर दिया इसलिए उक्त पट्टा अवैध, व शून्य है व निरस्त किये जाने योग्य है।

(ग) यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर जहां कदीमी रास्ता स्थाई रूप से वर्षों से चला आ रहा है उस रास्ता के भाग पर छरड़िया लगाकर व खंदक देकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया बाकी सम्पूर्ण भूखण्ड मौके पर खुला पड़ा हुआ है जिससे मौके पर रास्ते के अलामात स्पष्ट रूप से मौजूद है फिर भी ग्राम पंचायत हुडिया ने उक्त रास्ते की जमीन का पटटा संख्या 18 अप्रार्थी संख्या एक के नाम से जारी कर दिया इसलिए उक्त पट्टा अवैध, व शून्य है व निरस्त किये जाने योग्य है।

(घ) यह है कि पुर्व में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत हुड़िया में भी इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता रोके जाने बाबत शिकायत पेश की जिस पर ग्राम पंचायत स्थल निरिक्षण करवाया गया तथा स्थल निरिक्षण से मौके पर रास्ता व खुली भूमि होना पाया गया तथा रास्ते में रूकावट किया जाना भी पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायलय सिविल न्यायधीश कं. खं. मकराना के सपक्ष दीवानी विविध सं० 6 / 08 प्रस्तुत की गई थी जिसमें भी न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 15.03.08 को स्थल निरिक्षण किया गया व न्यायलय द्वारा नियुक्त कमिश्नर श्री मोहम्मद असलम द्वारा स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया साथ में मौके के हालत का नक्शा भी पेश किया गया जिसमें भी रास्ते में खंदक बनाकर रूकावट करना व मौके पर ताजा छरड़िया आदि डालने का तथ्यों का हवाला दिया है तथा शेष भूमि खुली होना दर्शाया गया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा, न उसका स्वामित्व रहा बल्कि यह भूमि हमेशा से ही रास्ता की व सार्वजनिक भूमि रही है फिर भी ग्राम पंचायत हुडिया ने उक्त रास्ते की जमीन का पटटा संख्या 18 अप्रार्थी संख्या एक के नाम से जारी कर दिया इसलिए उक्त पट्टा अवैध, व शून्य है व निरस्त किये जाने योग्य है।

(ड.) यह है कि विवादित भूमि हमेशा से ही रास्ता की व सार्वजनिक भूमि रही है जिसका पटा संख्या 45 अप्रार्थी संख्या एक ने गाम पंचायत से बनवालिया था उक्त पटा बाबत प्रार्थीगण ने पटा संख्या 45 को निरस्त कराने हेतु निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना में बअनुवान दुर्गासिंह वगैराह बनाम प्रतापसिंह वगैराहे मु. न. 04 / 2008 पेश की थी जिसका निर्णय दिनाकं 29.09.2008 को किया जाकर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक का पटा संख्या 45 खारिज किया गया। उक्त निगरानी के निर्णय के विरूद्ध मे अप्रार्थी संख्या एक द्वारा माननीय हाईकॉट जोधपुर मे CIVIL WRIT PETTION ON 10037 / 2008 बअनुवान प्रतापसिंह वगैराह बनाम दुर्गासिंह वगैराह पेश की थी जो दिनाकं 13.05.2009 को खारिज हो गई फिर भी ग्राम पंचायत हुडिया ने उक्त रास्ते की जमीन का पटटा संख्या 18 अप्रार्थी संख्या एक के नाम से दुबारा जारी कर दिया इसलिए उक्त पट्टा अवैध, व शून्य है व निरस्त किये जाने योग्य है।

(च) यह है कि ग्राम पंचायत हुडिया के पटा संख्या 18 की रूपरेखा की शर्तों मे प्रथम शर्त मे यह लिखा गया कि अप्रार्थी संख्या एक का 50 वर्षो से कब्जा है जबकि उक्त जायगा विवादित भूमि हमेशा से ही रास्ता की व सार्वजनिक भूमि रही है फिर भी ग्राम पंचायत हुडिया ने उक्त रास्ते की जमीन का पटटा संख्या 18 अप्रार्थी संख्या एक के नाम से दुबारा जारी कर दिया इसलिए उक्त पट्टा अवैध, व शून्य है व निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी प्रार्थीगण द्वारा पेश कर निवेदन है कि निगरानी ADMIT कर निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार कर व निगरानी मौजा दाबडिया मे विवादित रास्ता की व सार्वजनिक भूमि का ग्राम पंचायत हुड़िया ने अप्रार्थी संख्या [illegible] सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी दाबडिया तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन के नाम पटा सं० 18 जरिये पत्रावली सं० 28 / 2025 दिनांक 05.03.2025 को गलत [illegible] दिया उक्त पट्टा को अवैध, शून्य व निरस्त किया जाने का आदेश फरमाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

तहसीलदार मकराना से बिन्दुवार रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मकराना के पत्रांक 637 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि आबादी भूमि में स्थित होने किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्ध नहीं होने तथा वर्षों से काबिज प्रतीत होने से ग्राम पंचायत द्वारा बाजार दर पर खुली भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त स्थल पर किसी के आने जाने की सूविधाओं को प्रभावित नहीं करता है तथा किसी के सूखाचार का हनन नहीं किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार मकराना के पत्रांक 637 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि आबादी भूमि में स्थित होने किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्ध नहीं होने तथा वर्षों से काबिज प्रतीत होने से ग्राम पंचायत द्वारा बाजार दर पर खुली भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त स्थल पर किसी के आने जाने की सूविधाओं को प्रभावित नहीं करता है तथा किसी के सूखाचार का हनन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत हुड़िया द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.03.2025 सही जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09.09.25

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:49 IST
Reason: SelfAttested